FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत ____________ मुकाम ____________

____________ बनाम ____________

किस्म मुकदमा वाद नं. 50 सन् 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/10/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादीगण उप.। अधिवक्ता प्रतिवादीगण (1, 2, 3) उप.। अधिवक्ता वादीगण ने पूर्व मे प्रतिवादी सं. 2 का नाम तरे किए जाने हेतु प्रा.पत्र प्रस्तुत किया जो संलग्न पत्रावली है। रेकार्ड पर लिया जाता है। प्रार्थी का प्रा.पत्र न्यायहित मे स्वीकार किया जाता है। प्रति 2 का नाम तरे किए जाने के आदेश दिए जाते है। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। वादी के वाद पत्र का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि मूल पुरुष मांगू पिता दल्ला गुर्जर जो वादीगण के दादा व प्रतिवादीगण 1, 3, 4 के पिता व प्रतिवादी 2 के पति है। जिनके नाम पर ग्राम सोती पटवार हल्का सोती मे आराजी न. 97, 717, 728, 1162, 1593 किता 05 कुल रकबा 2.92 हैक्टर दर्ज रेकार्ड रही है।	[signature] (बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मांगू जी द्वारा आराजी नं. 728 सम्पूर्ण विक्रय करदेने से वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे आराजीयात निम्न प्रकार दर्ज रेकार्ड है आ.नं. 97, 717, 1162, 1593 कुल किता 4 कुल रकबा 2.34 है. शेष है। मांगू पिता दल्ला गुर्जर ने अपने जीवन काल मे ही अपने तीनो पोतो (वादीगण 1,2,3) के नाम दिनांक 08.01.2016 को स्टाम्प नं. 8805 कीमती 100/- पर वसीयत कर दी है। मांगू जी की मृत्यु के पश्चात उक्त वसीयत उनकी पत्नी प्रतिवादी सं. 2 के पास पड़ी हुई थी। उपरोक्त आराजीयात का विरासतीय नामान्तकरण जरिए ना.सं. 357, दिनांक 06.06.2022 को प्रतिवादी सं. 01 से 04 के नाम खोल दिया है। मांगू पिता दल्ला ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण को जरिये वसीयत नामा दिनांक 08.01.2016 से वसीयत कर दिया एवं कब्जा भी उनके जीवनकाल मे ही वादीगण को सौंप दिया है।

(सीनू पेखम)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

AnyScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
अंत मे वादीगण ने वसीयत 08.01.16 के आधार पर उक्त वर्णित आराजीयात 97, 717, 1162, 1593 कुल कीता 04 कुल रकबा 2.34 है. वादीगण के नाम खातेदारी घोषणा किये जाने व प्रतिवादी सं. 01 से 04 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का अनुरोध किया।	
प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता उमेश धाकड़ ने सहमति का जवाब दिनांक 27/03/23 को प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी 4 व 6 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से दिनांक 23/08/23 को इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। सहमति का जवाब होने से वाद बिन्दु कायम नही किए गए।	
वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य मे PW1 रमेश गुर्जर प्रस्तुत कर दस्तावेज नकल जमाबन्दी संवत 2064-2067 प्रदर्श-1, नकल जमाबन्दी 2072-2075 प्रदर्श-2, खाता संख्या 444	(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

SCAN AnyScanner

नकल नामान्तरकरण सं. 357
मौजा सेंती प्रदर्श-3, वसीयतनामा
द्वारा सांगर पिता दल्ला गुर्जर
नि. सेंती दिनांक 08/01/16 जिसकी
मूल प्रति जो प्रदर्श-4 तथा
पत्रावली फोटो प्रति-4ए
प्रदर्शित करवाए। अन्य गवाह
PW2 ताराचंद गुर्जर, PW3
भंवर लाल गुर्जर बयान शपथ
पत्र प्रस्तुत किए। PW3 भंवर
लाल जिरह हेतु उपस्थित
नहीं हुआ।
प्रतिवादीगण की ओर से मौखिक
साक्ष्य में DW1 किशनलाल,
DW2 अंजा बाई, DW3 नारायणी
बयान शपथ पत्र प्रस्तुत कर
बयान किए गए। साक्ष्य प्रतिवादी
गवाह DW1 ने सांगर पिता
दलीचन्द गुर्जर का मृत्यु प्रमाण
पत्र प्रदर्श-D-1 प्रदर्शित करवाए
प्रार्थना पत्र बाबत प्रतिवादी सं. 2
का नाम तर्क किए जाने प्रस्तुत
होकर स्वीकार होने पर प्रतिवादी
सं. 2 का नाम तर्क किए जाने
के आदेश हुए है।

हमने पत्रावली का गहनता
से अध्ययन कर उभय पक्षकारान
की बहस पर मनन किया।
प्रतिवादीगण (1, 2, 3) ने वाद पत्र
का खण्डन प्रस्तुत नहीं कर
सहमति का जवाब प्रस्तुत किया
है।

(बीनू देवल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

(नियम 26)

______ मुकाम ______

______ बनाम ______

______ नं. ______ सन् ______

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
जमाबन्दी प्रदर्श 1 से वादग्रस्त आराजीयात मूल पुरुष मांगू पिता दल्ला गुर्जर की होना एवं इन्त. सं. 728 विक्रय किया जाना प्रमाणित है। नामा.सं. 3571 दिनांक 06.06.22 प्रदर्श-3 से वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी सं. 01 से 04 के नाम दर्ज होना एवं जमाबन्दी प्रदर्श-2 से खातेदारी मे अंकित होना प्रमाणित है। वसीयतनामा 08/1/16 प्रदर्श 4ए मे समस्त स्थान मांगू की अंगुष्ठ निशानी है एवं ताराचन्द गुर्जर व भंवर लाल गुर्जर के वसीयतनामे पर साक्षी के रूप मे हस्ताक्षर है। वादी P.W1 रमेश गुर्जर व PW2 ताराचंद ने अपने बयानो से वसीयत को प्रमाणित कराया है। प्रतिवादी सं. 01 से 03 की ओर से सहमति का जवाब प्रस्तुत कर मौखिक साक्ष्य से वसीयतनामा किया जाना स्वीकार किया है। प्रदर्श D1 से मांगू की मृत्यु होना प्रमाणित है।	(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मौजूद मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादीगण का वादपत्र स्वीकार योग्य होने से वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सोंगी पटवार हलका सोंगी तहसील चित्तौडगढ की आराजी स. 97, 717, 1162, 1593 कुल कीता 4 कुल रकबा 2.34 है. का वादीगण स. 1, 2, 3 को खातेदार घोषित किया जाता है। राजस्व रेकार्ड मे प्रतिवादी स. 1 से 4 का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादी स. 1 से 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजीयात मे दखल अंदाजी नही करे एवं ना ही अन्य से करावे। निर्णय आज दिनांक 24/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय मे सुनाया गया।
	(हस्ताक्षर) (वीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

AnyScanner